

(To be published in the Employment News/Rozgar Samachar dated 05<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> September 2008)

**STAFF SELECTION COMMISSION  
(MADHYA PRADESH REGION)**

**“NISHANT VILLA”, ‘F’ JALVIHAR COLONY, RAIPUR**

(This notice and application form are also available on Commission’s website “[www.sscmpr.org](http://www.sscmpr.org)”)

**ADVERTISEMENT NO. 1/2008**

**F. No. 4/6/2005-Exam(MPR)**

**APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR FOLLOWING GROUP ‘C’ (NON-TECHNICAL) POSTS :**

**MPR-(C)-1: Investigator in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) under Ministry of Textiles.**

Vacancy : 02 (OBC)

P.S. : Rs. 5000-150-8000/-

Age : 20-26 years

EQ : Bachelor’s degree in any subject from a recognized University or its equivalent

IP : Chhattisgarh/M.P.

AISL : Yes

Probation : 2 years

JR : To conduct survey of Handicrafts; to prepare statistical data to assist the Assistant Director Marketing and Service Extension Centres in maintaining liaison work with State Govt./PSUs/NGOs/Co-operative Societies etc. for successful implementation of departmental Schemes being executed and implemented for the welfare and upliftment of the Handicraft artisans.

This post has been identified as **not suitable for PH candidates.**

**MPR-(C)-2 : Stenographer Gr.III in the Directorate of Census Operations, Chhattisgarh**

Vacancy : 01 (UR)

P.S. : Rs. 4000-100-6000/-

Age : 18-27 years

EQ : (i) Matriculation or equivalent from a recognized University/Board

(ii) Speed of 80 w.p.m. in English/Hindi Shorthand and 30 w.p.m. in English Typewriting or 25 w.p.m. in Hindi Typewriting

DQ : Computer proficiency

IP : Raipur with present Headquarter at Bhopal

AISL : No

Probation : 2 years

JR : Perform all stenographic functions, maintain official telephone calls of the office/room, maintain an arranged diary and submit necessary papers for meeting, interview etc, attend any other work assigned.

This post has been identified as **suitable for OH (OL/BL) candidates.**

**NOTE : THE CRUCIAL DATE FOR RECKONING THE ELIGIBILITY WITH REGARDS TO AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICAITON ETC. WILL BE THE LAST DATE FOR RECIEPT OF APPLICATIONS i.e. 10<sup>th</sup> OCTOBER, 2008.**

**2. FEE PAYABLE :** Rs. 50/- (Rupees fifty only) for each category of posts. (Separate applications are required to be submitted for each category of post)

**2.1 MODE OF PAYMENT :** Only by Central Recruitment Fee Stamps (CRFS).

**2.1.1** Candidates are advised to pay the Examination fee in the form of CRFS for which they are not to pay any commission. These stamps are available at all departmental Post Offices of the Country. These Recruitment Stamps may be pasted at the top left hand corner of the Application Form in the space provided for the purpose. Recruitment Stamps must be got cancelled from the counter clerk of any Post Office

including the Post Office of issue with the date stamp of Post Office in such a manner that the impression of the cancellation stamps clearly overflows on the Application Form itself, taking care at the same time that the impression is clear and distinct to facilitate the identification of the date and the Post Office of issue at any subsequent stage. Non-cancellation of stamps may lead to rejection of the Application Form.

**2.1.2** Fee once paid will not be refunded under any circumstances.

**2.1.3** Fee paid by modes other than CRFS as specified above will not be accepted and applications of such candidates will be rejected forthright and the payment made shall stand forfeited.

**2.2 FEE CONCESSION :** No fee for SC/ST/PH/EXS candidates.

Fee concession is NOT available to OBC candidates.

Fee concession is NOT available to sons and daughters of EXS.

EXS candidates who have already taken up a Government job shall NOT be entitled for fee concession.

**NOTE-I – RESERVED CATEGORY CANDIDATES APPLYING AGAINST UNRESERVED POSTS WILL NOT BE ENTITLED FOR AGE RELAXATION BUT FEE CONCESSION SHALL BE ADMISSIBLE.**

**3. AGE RELAXATION :**

**3.1** Upto a maximum of **3 years ‘for MPR-(C)(1) only’** if a candidate belongs to OBCs in accordance with DP&T OM NO.43013/2/95-Estt(SCT) dated 25.01.1995 as amended from time to time.

**3.2** Upto a maximum of **10 years ‘for MPR-(C)(2) only’** if the candidate is a physically handicapped person (Also see Note I below para 2 above).

**3.3** Upper age-limit is relaxable for retrenched employees of Chukha Hydel Project Authority in Bhutan who were directly recruited, to the extent of regular service rendered by them with the Authority (Period of service rendered by the retrenched employees will be decided on the basis of certificate issued by the Chukha Hydel Project Authority).

**3.4** All persons who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period 01.01.1980 to 31.12.1989 shall be eligible for relaxation in the upper age-limit upto a maximum of 05 years in support of which the proof of residence may be submitted alongwith the application with a certificate from :

(a) The District Magistrate within whose jurisdiction he had ordinarily resided; OR

(b) Any other authority designated in this behalf by the Govt. of J&K to the effect that he had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period 01.01.1980 to 31.12.1989.

**3.5** Upper age-limit is relaxable upto the age of 35 years (upto 38 years for OBC candidates for the posts reserved for this category) in the case of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not remarried.

**3.6** Upper age-limit is relaxable upto a maximum of three years in the case of Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

**3.7** EXS fulfilling the conditions laid down by the Government from time to time shall be allowed to deduct military service from their actual age and such resultant age should not exceed the prescribed upper age-limit by more than three years.

**NOTE II-** An Ex-Serviceman means a person who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the regular Army, Navy, Air Force of the Indian Union and :-

- (a) who retired from such service after earning his/her pension. This would also include persons who are released/retired on their own request but after having earned their pension; or
- (b) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension, or
- (c) who has been released, otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment, or
- (d) who has been released from such service after completing the specified period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity and includes personnel of the Territorial Army of the following categories:-

- (1) Pension holders for continuous embodied service.
- (2) Persons with disability attributable to military service.
- (3) Gallantry award winner.

**NOTE-III** - As per D/o Personnel & Training O.M. No.36034/6/90-Estt.SCT dated 2.4.1992, such Ex-servicemen who have already joined government job in civil side after availing of the benefits given to ex-servicemen for their re-employment are also eligible for the age concession. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation as EXS or for fee concession.

**NOTE-IV** - The period of call up Service of an EXS in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces . For any servicemen of the three Armed Forces of the Union to be treated as EXS for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for post/service, the status of EXS and/or in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the **closing date (10<sup>th</sup> October 2008)**

**NOTE-V :** The format of certificate/undertaking to be submitted by the EXS candidate in this connection is given in **Annexure I & II**

**3.8** The Upper age limit is relaxable upto the age of 35 years (38 years for OBC candidates only for the posts reserved for this category) for the Central Government Civilian Employees who have rendered not less than 3 years continuous service on regular basis( and not on ad-hoc basis) as on the normal **closing date for receipt of applications (i.e. 10<sup>th</sup> October 2008)**

#### **PROCESS OF CERTIFICATION/FORMATS OF CERTIFICATES:**

Candidates who wish to be considered against vacancies reserved/to seek age relaxation, must submit requisite certificate from the competent authority alongwith their application for the examination, otherwise, their claim for SC/ST/OBC/PH/EXS status will not be entertained and their applications will be considered as if same are from General(UR) category candidates. The nature & format of certificate is as under:

- Annexure I/II for ExS category candidates.**
- Annexure III for SC/ST category candidates;**
- Annexure V for OBC category candidates;**
- Annexure VI for PH category candidates.**

**Note-I:** Candidates are warned that they may be permanently debarred for the examination conducted by the Commission in case candidates fraudulently claim SC/ST/OBC/ExS/PH status.

#### **Note-II: IMPORTANT REQUIREMENT OF PH CERTIFICATE**

(i) A disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central and the State Government. The Central/State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members, out of which, at least, one member shall be a Specialist in the relevant field for assessing locomotor/ cerebral/ .visual/ hearing disability, as the case may be.

(ii) The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is 'Temporary'. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who acquired permanent disability, the validity can be shown as 'Permanent'. On representation by the applicant, the Medical Board may review its decision having regard to all the facts and circumstances of the case and pass such orders in the matter as it thinks fit.

(iii) According to the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1996 notified on 31.12.1996 by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), authorities to give disability Certificate will be a Medical Board duly constituted by the Central and the State Government. The State government may constitute a Medical Board consisting of at least three members out of which at least one shall be a specialist in the particular field for assessing locomotors / hearing and speech disability, mental retardation and leprosy cured, as the case may be.

**Note-III:** Central Govt. Civilian Employees claiming the benefit of Govt. employees, would be required to submit a certificate (as per **Annexure-IV**) by their office indicating length of service at the time of applying for the examination to enable the Commission to decide their eligibility. They may send their applications directly to the Commission after intimating to their Head of Office/Department and need not send another copy through proper channel. However, in case they decide to send Application through proper channel, they must ensure that the application complete in all respects should reach Staff Selection Commission by the closing date. Applications shall be rejected if received late and/or not complete in all respects as provided in rules.

**SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMIT PRESCRIBED, SHALL IN NO CASE BE RELAXED.**

**4. PRELIMINARY SELECTION :** Mere fulfilling of minimum prescribed qualifications, etc., will not entitle the candidates to be called for the Skill tests. Commission may make a preliminary short-listing of candidates with reference to the number of vacancies on the basis of their educational qualifications, academic records to undergo the Interview/Skill tests (alongwith screening test, if necessary).

**5. SCREENING TEST :** The Commission may, at its discretion also decide to hold a screening test for all/short-listed candidates. Only such of the candidates who qualify in the screening test at the standard fixed by the Commission at their discretion would be made eligible for being called for the Interview/Skill Tests.

The Screening Test/Interview/Skill Tests will be held at Commission's Sub-regional Office at Raipur or other Centers as may be decided by the Commission.

No TA is payable to any candidate for appearing in the Screening Test/ Skill Tests.

**6. SKILL TEST :**

**6.1 STENOGRAPHY TEST :-**

**For Category No. (C)2 - 80 w.p.m. in English/Hindi –** The candidates will be given one dictation test in English/Hindi at the speed of 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the shorthand test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on manual typewriters and for this purpose, they will be required to bring their own typewriters with them. Second chance for stenography test will not be given to those candidates whose typewriters go out of order during the currency of test.

**Candidates who opt to take the Stenography & Type Test in Hindi will be required to learn English Stenography & Typing as well and vice versa after their appointment.**

## **6.2 TYPEWRITING TEST –**

**For Category No. (C)2 - 30 words per minute in English or 25 w.p.m. in Hindi**

The typewriting test will consist of one paper on running matter of 10 minutes duration. Candidates shall have to bring their own typewriter for the test. Use of electronic typewriting is not allowed in typewriting test. Second chance for Typing test will not be given to any candidate whose typewriter goes out of order during the currency of test.

**NOTE: No exemption from Stenography & Typing Tests shall be granted to any category of candidates.**

### **NOTE:**

- a. Candidates shall have to indicate his/her choice/option for Medium of Stenography & Type Test in the Application Form.
- b. If the candidates do not indicate the MEDIUM of STENOGRAPHY & TYPE TEST at the relevant place in the Application Form, the Commission shall consider ENGLISH as the medium of STENOGRAPHY & TYPE TEST for such candidates and the candidates shall not be allowed to change the medium at any stage of the examination.
- c. All the Candidates, who are required to appear at any of the above-mentioned Skill Tests, will have to bring their own manual typewriters.

## **8. HOW TO APPLY :**

**8.1** Separate application are required to be submitted for the two category of posts clearly indicating at the relevant place the post for which the candidates wishes to be considered.

**8.2** Application shall be filled by the candidate in his own handwriting preferably in black or blue ink only in Hindi or English language. Application filled up in any other language will be summarily rejected.

**8.3** Due care shall be taken by the candidate to fill up the Application Form correctly. No column should be left blank. Incomplete or defective applications shall be summarily rejected. No representation or correspondence regarding such rejection shall be entertained under any circumstances.

**8.4** **Candidates should sign below the photo pasted on the application form, at the bottom of the Application form and under the OBC declaration, if applicable, in running hand (and not in capital letter) in the same manner and style. Failure to append signature at any of the designated placed will entail summary rejection of the application form. If any variation is found in the signatures appended at different places his/her candidature will be liable to be cancelled by the Commission.**

**8.5** Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information while filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case attempt to alter or otherwise tamper with any entry in a document or the attested certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy, an explanation regarding this discrepancy should be submitted.

**8.6** Applications must be submitted in the form published in the Employment News/Rozgar Samachar. The applications can also be typed out in double space or written in hand neatly, but format should be the same as published.

**8.7** Applications submitted on a format which is not exactly the same as published in this advertisement, are liable to be rejected summarily.

**8.8** Candidate should paste his recent size photograph on the space provided in Application Form. Similar copies of the pasted photo shall be retained by the candidate for later use.

**8.9** Candidate must append his signature in the Application Form, in running script (and not in block letters) :-

- (i) below the photograph in the space provided for the purpose;
- (ii) below the general declaration to be signed by all candidates; and

(iii)below the declaration by the OBC/Departmental candidates, if applicable.

**8.10** Applications without photograph or signature at requisite places are liable to be rejected.

**8.11** One envelope should contain application of one candidate only. Infringement of this instruction would invite penal action by the Commission, which also includes rejection of applications.

**8.12** The envelope containing the application should be superscribed in bold letters as “**APPLICATION FOR THE POSTS OF STENOGRAPHER 2008**” or “**APPLICATION FOR THE POSTS OF INVESTIGATORS 2008**” as the case may be and shall **be addressed to the :-**

**DEPUTY REGIONAL DIRECTOR (MPR)  
STAFF SELECTION COMMISSION  
'NISHANT VILLA', F- JALVIHAR COLONY,  
RAIPUR, CHATTISGARH- 492001**

**9. CLOSING DATE :** Last date for the receipt of applications is **10<sup>th</sup> October 2008 (5.00 P.M.) (17<sup>th</sup> October 2008)** in case of candidates residing in and posting their applications from Lahaul & Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Assam, Meghalaya, Mizoram or Arunachal Pradesh etc.)

**10. DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION :**

- (i) Central Recruitment Fee stamps of Rs. 50/- affixed and clearly cancelled on the Application Form;
- (ii) One self-addressed Postcard worth postage of Rs. 6/-. The candidate must indicate “APPLICATION FOR THE POST OF STENOGRAPHER 2007” or “APPLICATION FOR THE POST OF INVESTIGATORS 2007” as the case may be on the Post Card.
- (iii) One self-addressed envelope of 12cms x 25cms size, which must be affixed with postage stamps worth Rs. 6/-.
- (iv) Four address slips
- (v) Documents in support of Education Qualification.
- (vi) Documents in support of claim of SC/ST/OBC/PH/EXS category. The format of the Caste certificate shall conform to the one prescribed by the Central Government for this purpose which is published (**Annexure I, II, III, V & VI**) in the Employment News/Rozgar Samachar alongwith the notice of the exam.
- (vii) Documents in support of claim of age relaxation (in case of OBC/PH/EXS). Format of certificate given at **Annexure I, II, V & VI**.
- (viii) Attested copies of Matriculation or equivalent certificates issued by the Board showing their date of birth as proof of age. No other documents shall be acceptable.
- (ix) Central Government civilian employees claiming age relaxation will be required to submit, alongwith the application, a certificate (as per **Annexure IV**) issued by their office indicating length of service, on regular basis, rendered by the candidate concerned, as on the normal closing date of applications
- (x) All Candidates in Government Service (holding civil post) whether in a permanent or in temporary capacity or work charged employee, other than casual duty or daily rated employee, or those serving under Public Enterprises, shall submit an undertaking that they have informed, in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.
- xi) Duly filled in Application Form itself.

**11. IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES :-**

- (i) More vacancies in equivalent/comparable posts may also be filled through this advertisement. Vacancies mentioned above are subject to alteration.
- (ii) Canvassing in any form will disqualify the candidate.
- (iii) The Applicants in their own interest are advised to minutely go through all the provisions of the Commission's Notice, as published in the Employment News/Rozgar Samachar to ensure that they are eligible for the post under consideration. Their admission at all the stages of examination will be purely PROVISIONAL, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification, at any time before or after the screening test and interview, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled by the Commission.

- (iv) If any of the documents mentioned in para 7 above are not submitted alongwith the application, the application will be rejected summarily or at any stage of the examination and no request for its revival will be considered.
- (v) No original certificates shall be sent alongwith the application.
- (vi) Date of Birth as recorded in Matriculation/Secondary examination certificate or an equivalent certificate only will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.
- (vii) Educational Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.
- (viii) Candidates who do not possess the proof of passing the required examination for obtaining the prescribed educational qualifications as on the closing date of application are **NOT ELIGIBLE** and need not apply for the post.
- (ix) All candidates who are short-listed by the Commission for appearing at the Screening Test/Interview/Skill Test will be required to produce proof of passing the requisite examinations as a result of which the candidate has claimed to be educationally qualified on the date mentioned above, at the time of the Interview/Skill Test, failing which the candidature of such candidates will be cancelled by the Commission without any further correspondence in this regard.
- (x) Candidates have the option to submit either self attested photocopies of the various documents or to submit photocopies of documents duly attested by a Gazetted Officer as per extant procedure alongwith the application form. However, all the original documents/certificates will be verified at the time of Interview/Skill Test and their candidature will be subject to result of such scrutiny. While exercising the facility of self-attestation of documents, the candidates are warned that any wrong attestations so as to mislead the Commission or to gain access to the examinations would lead to criminal/debar action against the applicants, besides cancellation of their candidature.
- (xi) Central Government Employees may send their application directly to the Commission after intimating to their Head of Office/Department and need not send another copy through proper channel. However, if they decide to send a copy through proper channel, they must ensure that the application complete in all respects reaches the Staff Selection Commission by the closing date.
- (xii) Candidates shall note that in case the Commission receives a communication from their employer withholding permission to the candidate applying for the post, their applications shall be rejected/candidature shall be cancelled.
- (xiii) Candidates are advised to post the Application well before the closing date so that it reaches the SSC by the closing date and time. Application received after last date or incomplete in any respect shall be liable to be rejected.
- (xiv) The decision of the Commission in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of screening test/Interview/skill test will be final and binding on the candidates and no enquiry/correspondence will be entertained in this regard.
- (xv) Success in examination confers no right to appointment unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the post.
- (xvi) This advertisement is also available on the Commission's website [sscmpr.org](http://sscmpr.org). Candidates can download the application form available on the website and make use of the same for applying for the post.
- (xvii) Any dispute in regard to this Recruitment will be subject to courts/tribunals having jurisdiction over Raipur where the office of SSC MP Region is located.

\*\*\*\*\*



**STAFF SELECTION COMMISSION  
( MADHYA PRADESH REGION )  
APPLICATION FORM FOR THE POST OF  
'INVESTIGATOR/STENOGRAPHER' – 2008  
IN THE MP REGION**

**Closing Date:** .....

**INSTRUCTIONS**

- i) In the columns below, write the required information in English (CAPITAL LETTERS) or in Hindi. Those candidates who fill up the application form in Hindi should also write their name and address in column 3(b) in ENGLISH CAPITAL LETTERS also.
- ii) One envelope should contain Application of one candidate only. Infringement of this instruction would invite penal action by the Commission.
- iii) SEPARATE APPLICATIONS ARE REQUIRED TO BE SUBMITTED FOR THE POSTS OF INVESTIGATORS AND STENOGRAPHER CLEARLY INDICATING AT THE RELEVANT PLACE IN THE APPLICATION FORM THE NAME OF THE POST FOR WHICH THE CANDIDATE WISHES TO BE CONSIDERED.
- iv) The envelope containing the application must be superscribed in bold letters as 'APPLICATION FOR THE POST OF \_\_\_\_\_ ADVERTISED VIDE CATEGORY \_\_\_\_\_ ADVT. NO. \_\_\_\_\_'.
- v) An application will be summarily rejected at any stage of the recruitment process for having incomplete information/wrong information/mis-representation of facts/left unsigned/submitted without fee where due/without photograph pasted at the appropriate place/not accompanied by attested copies of certificates in support of their claim for educational qualifications, age and Category (ST/EXS/OH/Central Govt. Employee) or for submitting more than one application.
- vi) If a candidate has changed his/her name or dropped/added part of his/her name after Matriculation/SSC/Hr. Secondary, he/she is required to submit an attested copy of Gazette Notification to the effect that he/she has changed his/her name after matric, etc. The changed name should also have been indicated in the Gazette Notification.
- vii) The Commission will not be responsible for postal delays.
- viii) Candidates should sign, at the bottom of the Application form. If any variation is found in the signature appended by him at different places his/her candidature will be liable to be cancelled by the Commission.
- ix) One self-addressed postcard affixed with an additional Rs. 6/- postage stamp, two self-addressed envelopes of 12 cms X 25 cms size indicating name and address of the candidates. One of this should be affixed with postage stamps worth Rs. 6/- and two self-addressed slips should also be attached with the application form.
- x) Candidates should paste (not staple or pin) his/her recent attested photograph on the Application Form. Any variation in the photographs may leads to rejection of his/her candidature.
- xi) CANDIDATES SHOULD MINUTELY GO THROUGH ALL THE PROVISIONS IN THE NOTICE TO ENSURE THAT HE/SHE IS ELIGIBLE FOR THE POSTS FOR WHICH HE/SHE IS APPLYING IN TERMS OF REQUIREMENTS OF AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATION AS ON CRUCIAL DATE ETC.

Affix Rs. 50/- CRFS  
here to be cancelled with  
Post Office stamp half  
on CRFS half on  
application form

**APPLICATION FORM**

Paste your recent good  
quality Passport Size  
Photograph. Keep 2 identical  
copies for use in further  
stages of Recruitment.

1. (i) Advertisement No. 1/2008  
(ii) Category No. MPR (C)-  
(iii) Fee paid : \_\_\_\_\_
2. Post applied for \_\_\_\_\_
3. Name of Candidate  
(as recorded in Matriculation or equivalent Certificate)

Signature of candidate in the box  
above preferably in black ink/ball pen



- b) Date of discharge  
\_\_\_\_\_
- c) Length of service in Armed forces  
\_\_\_\_\_
- d) Your last unit/corps  
\_\_\_\_\_
- e) Details of Govt. job in Civil side, if any, joined after  
\_\_\_\_\_ availing of the benefits given to EXS.  
\_\_\_\_\_

(iii) If you are a Central Govt. Employee holding Civil post :

- a) State full particulars viz. Ministry/Deptt./

\_\_\_\_\_ Office where working with address

- b) Date from which working :

--	--

DATE

--	--

MONTH

--	--	--	--

YEAR

10. Please indicate whether you fulfill the requisite qualifications for the post (as in the notice) :  
YES/NO

(attested copies of the requisite certificates in support of claim must be attached)

11. \* Option for Stenography and Type Test (if applicable) :

--

write 1 for Hindi  
2 for English

\* This column should be left blank if not applying for the post of Stenographer

12. Citizenship :

Write

1. if a citizen of India
2. if a subject of Nepal
3. if a subject of Bhutan
4. if a Tibetan Refugee who came over to India before 1<sup>st</sup> January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
5. if a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire Ethiopia, Vietnam, Kuwait and Iraq.

--

13. (i) Whether debarred in any earlier examination by SSC/UPSC?

Write 1 for YES

Write 2 for NO

--

(ii) If yes, give

(A) Name of Exam.....

(B) Roll Number.....

(C) Date of Debarment.....

(D) Period up to which debarred.....

### **DECLARATION**

(To be signed by all candidates)

I hereby declare that all statements made in this application form are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the screening test or interview my candidature/appointment is liable to be cancelled. I have not submitted any other

application for this screening test or interview. I have read the provisions in the Notice of the Commission carefully and I hereby undertake to abide by them. I further declare that I fulfill all the conditions of eligibility regarding age limits, educational qualifications etc. prescribed for admission to the screening test or interview. I have enclosed attested copies of certificates in support of my claim for Educational Qualifications, age, category (ST/OH/EXS) and age relaxation. I also declare that I have never been convicted by any court of Law. I further declare that I have not been debarred by SSC/UPSC.

Signature of Candidate

Place :.....

Date :.....

\* Application not signed by the candidate will be rejected.

---

**DECLARATION TO BE SIGNED BY OBC CANDIDATES ONLY**

I.....son / daughter of Shri  
.....resident of  
village/town/city.....district.....state..... hereby  
declare that I belong to the.....community which is recognized as  
a backward class by the Govt. of India for the purpose of reservation in services as per orders  
contained in Deptt. of Personnel and Training Office Memorandum No.36012/22/93-SCT)  
dated 8.9.1993. It is also declared that I do not belong to the persons/sections (creamy layer)  
mentioned in Column 3 of OM No-36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993 and modified  
vide Govt. of India Deptt. of Personnel and Training OM No. 36033/3/2004-Estt(Res) dated  
09.03.2004.

Place:

Date :

(Signature of applicant)

NOTE: The closing date for receipt of application will be treated as the date of reckoning for assuming that the OBC candidate does not fall in the creamy layer.

---

**FOR CENTRAL GOVERNMENT CANDIDATES HOLDING CIVIL POST ONLY**

I also declare that I am informing my Head of Office/Department/Ministry in writing that I have applied for this examination.

Place :  
candidate  
Date :

Signature of the

## ANNEXURE- I

### (Certificate for serving Defence Personnel (please see Para 3.7 of Notice of the Examination))

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) \_\_\_\_\_  
(Rank)\_\_\_\_\_ (Name)\_\_\_\_\_ is due to  
complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date)\_\_\_\_\_.

Place:

Date:

Commanding Officer

Signature of

Office Seal:

---

## ANNEXURE – II

### Undertaking to be given by the candidates covered under Para 3.7 of Notice

I understand that, if selected on the basis of the recruitment/examination to which the application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.) I also understand that I shall not be eligible to be appointment to a vacancy reserved for Ex-S in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public sector undertakings, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalised Banks, etc.) by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-S.

Place:

Candidate

Date:

Signature of

---

## ANNEXURE-III FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below, of the District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

**The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India.**

This is to certify that Shri/ Smt./ Km. .... son/daughter of  
..... of village/ town\* in  
District/Division\*.....of the State/Union Territory\* belongs to the  
Caste/Tribes..... which is recognised as a Scheduled Castes/Scheduled  
Tribes' under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 \_\_\_\_\_ the Constitution  
(Scheduled Tribes) order, 1950 \_\_\_\_\_ the Constitution  
(Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 \_\_\_\_\_, the  
Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951\* \_\_\_\_\_  
As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956. the  
Bombay Reorganisation Act, 1960 & the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal  
Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and  
Scheduled Tribes Order (Amendment) Act. 1976.  
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956  
The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the  
Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976\*.  
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962.  
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962. @  
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964 .@  
The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967. @  
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order 1968@.  
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968.@  
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order 1970 .@  
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978.@  
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@  
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989@  
The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990@  
The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance, 1991 @  
The Constitution (ST) Orders (Second Amendment) Act, 1991 @  
The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance, 1996

**%2.** Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificates issued to Shri/Smt. .... Father/Mother.....of Shri/Smt/Kumari\* .....of village/town\* .....in District/Division\* ..... of the State/Union Territory\*..... who belongs to the ..... Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory issued by the ..... dated .....

**%3.** Shri/Shrimati/Kumari and/or his/her family ordinarily reside(s) in village/town ..... of District/Division..... of the State/Union Territory of .....

Signature.....  
Designation.....  
(with seal of office)

State/Union Territory  
Place.....  
Date.....

Please delete the words which are not applicable  
@ Please quote specific Presidential Order  
% Delete the paragraph which is not applicable

**Note:** the term, ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950

List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- (i) Chief Presidency magistrate/Additional Chief Presidency magistrate/Presidency magistrate.
- (ii) Revenue officers not below the rank of Tehsildar.
- (iii) Sub-Division officers of the area where the candidates and/or his family normally resides.

Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER

---

#### ANNEXURE –IV

**Form of certificate to be submitted by Central Government Employees holding Civil post seeking age-relaxation (To be filled by the Head of the Office or Department in which the candidate is serving)**

It is certified that Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ is a Central Government employee holding a civil post in the pay scale of Rs. \_\_\_\_\_ with 3 years regular service in the grade as on \_\_\_\_\_.

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Office Seal \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**APPENDIX-V**

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD  
CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE  
GOVERNMENT OF INDIA.**

This is to certify that \_\_\_\_\_ son/daughter of  
\_\_\_\_\_ of village \_\_\_\_\_  
District/Division \_\_\_\_\_ in the \_\_\_\_\_ State  
\_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_  
Community which is recognized as a backward class under:

- i) Resolution No. 12011/68/93-BCC dated the 10<sup>th</sup> September, 1993, published in the Gazette of India Extraordinary – Part I, Section I, No. 186 dated 13<sup>th</sup> September, 1993.
- ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated 19.10.1994 published in Gazette of India extraordinary Part I Section I No. 163, dated 20<sup>th</sup> October, 1994.
- iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated the 24<sup>th</sup> May 1995 Published in the Gazette of India extraordinary Part-I Section I No. 88 dated 25<sup>th</sup> May, 1995.
- iv) Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9<sup>th</sup> March, 1996.
- v) Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6<sup>th</sup> December, 1996, published in the Gazette of India – Extraordinary-part I, Section-I, No. 210, dated the 11<sup>th</sup> December, 1996.
- vi) Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3<sup>rd</sup> December, 1997.
- vii) Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11<sup>th</sup> December, 1997.
- viii) Resolution No.12011/68/98-BCC dated 27<sup>th</sup> October, 1999.
- ix) Resolution No.12011/88/98-BCC dated 6<sup>th</sup> December, 1999, published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-I, Section-I No.270, 6<sup>th</sup> December, 1999.
- x) Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4<sup>th</sup> April, 2000, published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-I, Section-I, No.71 dated 4<sup>th</sup> April, 2000.
- xi) Resolution No.12011/44/99-BCC dated 21.9.2000, published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-I, Section-I, No.210 dated 21.9.2000.

Shri /Smt./Km. \_\_\_\_\_ and/or his family ordinarily reside(s) in the  
\_\_\_\_\_ District/Division \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ the  
\_\_\_\_\_ State. This is also to certify that he/she does not  
belong to the persons/sections (Creamy Layer ) mentioned in Column 3 of the Schedule to the  
G.O.I. Deptt. of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8.9.1993  
and modified vide the GOI, DOPT's O.M. No.36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9.3.2004.

Dated:  
Seal:

**District Magistrate or  
Deputy Commissioner etc.**

Note: (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:-

- (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Dy. Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1<sup>st</sup> Class Stipendary Magistrate).
- (i) Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
- (ii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

**ANNEXURE -VI**

**NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL**

\_\_\_\_\_

Certificate No. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Date\_\_\_\_\_

**DISABILITY CERTIFICATE**

This is certified that Shri/Smt/Kum

\_\_\_\_\_  
son/wife/daughter of Shri

\_\_\_\_\_  
age \_\_\_\_sex \_\_\_\_identification

mark(s)\_\_\_\_\_

is suffering from permanent disability of following category :-

**A. Locomotor or cerebral palsy :**

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

Affix here recent  
photograph showing  
the disability duly  
attested by the  
Chairperson of the  
Medical Board

**B. Blindness or Low Vision :**

- (i) B-Blind

(ii) PB-Partially Blind

**C. Hearing Impairment :**

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of \_\_\_\_\_ years \_\_\_\_\_ months.\*

3. Percentage of disability in his/her case is ..... percent.

4. Sh./Smt./Kum ..... meets the following physical requirements for discharge of his /her duties :-

(i) F-can perform work by manipulating with fingers.

Yes/No

(ii) PP-can perform work by pulling and pushing.

Yes/No

(iii) L-can perform work by lifting.

Yes/No

(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching

Yes/No

(v) B-can perform work by bending.

Yes/No

(vi) S-can perform work by sitting.

Yes/No

(vii) ST-can perform work by standing.

Yes/No

(viii) W-can perform work by walking.

Yes/No

(ix) SE-can perform work by seeing.

Yes/No

(x) H-can perform work by hearing/speaking.

Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing.

Yes/No

(Dr. \_\_\_\_\_) (Dr. \_\_\_\_\_)  
(Dr. \_\_\_\_\_)

Member  
Medical Board

Member  
Medical Board

Chairperson  
Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/  
CMO/Head of Hospital  
(with seal)

\*Strike out which is not applicable.

---

( दिनांक 05 से 12 सितंबर 2008 के रोजगार समाचार में प्रकाशन हेतु )

**कर्मचारी चयन आयोग**

( मध्य प्रदेश क्षेत्र )

निशांत विला, 'एफ' जल विहार कॉलोनी, रायपुर

( यह विज्ञप्ती एवं आवेदन पत्र आयोग की वेब साईट [www.sscmpr.org](http://www.sscmpr.org) पर भी उपलब्ध है )

**विज्ञापन संख्या-1@2008**

**फा.सं. 4@6@2005 परीक्षा (मप्रक्षे)**

निम्नलिखित श्रेणी 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित है -

**श्रेणी संख्या - मप्रक्षे (सी)-1 :** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में अन्वेषक का पद

रिक्तियों की संख्या- 02 (अन्य पिछडा वर्ग)

वेतनमान : 5000&150&8000/-

आयु - 20&26 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधी

प्रारंभिक तैनाती का स्थान- छत्तीसगढ़/मध्य प्रदेश

अखिल भारतीय सेवा दायित्व - हां ।

परीवीक्षा अवधि - 2 वर्ष

कार्य दायित्व- हस्तशिल्प संबंधी सर्वेक्षण करना, सांख्यिकीय डाटा तैयार करना, हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण एवं उत्थान के लिए लागू की जा रही विभागीय योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सहायक निदेशक (विपणन) एवं सेवा विस्तार केन्द्रों को राज्य सरकारों/सार्वजनिक उद्यमों/गैर सरकारी संस्थाओं/सहकारी संस्थओं इत्यादी से संपर्क बनाने में सहयोग करना ।

यह पद शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है ।

**श्रेणी संख्या - मप्रक्षे (सी)-2 :** जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ में आशुलिपिक ग्रेड-III का पद

रिक्तियों की संख्या- 01 (अनारक्षित )

वेतनमान : 4000&100&6000/-

आयु - 18&27 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता - अनिवार्य

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष,

(II) अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपी में 80 श.प्र.मि. की गती एवं अंग्रेजी टंकण में 30 श.प्र.मि. अथवा हिन्दी टंकण में 25 श.प्र.मि. की गती

वांछनीय - कम्प्युटर में प्रवीणता

प्रारंभिक तैनाती का स्थान- रायपुर (वर्तमान मुख्यालय भोपाल में)

अखिल भारतीय सेवा दायित्व - नहीं ।

परीवीक्षा अवधि - 2 वर्ष

कार्य दायित्व- सभी प्रकार के आशुलिपिकीय कार्य, कार्यालयीन दूरभाष का प्रबंधन, डायरी प्रबंधन एवं मीटिंग, साक्षात्कार हेतु आवश्यक कागजात प्रस्तुत करना, अन्य आवंटित कार्य करना ।

यह पद अस्थी विकलांग(एक पैर/दोनों पैर से बाधित) अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त है ।

टिप्पणी : आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, जो की 10 अक्टूबर 2008 है, आयु एवं शैक्षणिक योग्यता की गणना के लिए निर्णायक तिथि होगी ।

2. **देय शुल्क - 50/-** (मात्र पचास रूपये) प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए। (अलग-अलग श्रेणी के पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा )

2.1 शुल्क भुगतान का प्रकार- केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट द्वारा

2.1.1 भुगतान का तरीका - उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुल्क केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में अदा करें जिसके लिए उन्हें कोई कमीशन नहीं चुकाना है। ये टिकट देश के सभी विभागीय डाक कार्यालयों में उपलब्ध है। ये भर्ती टिकटें आवेदन प्रपत्र में दांये कोने के उपर इस हेतु निर्धारित स्थान पर चिपका दी जाएं। भर्ती शुल्क टिकट को किसी भी जारीकर्ता डाकघर के लिपिक द्वारा उस डाकघर की तारीख वाली मुहर से इस तरह निरस्त करा लेना चाहिए कि डाकघर की मुहर बिल्कुल साफ एवं सुस्पष्ट हो ताकि बाद में जारी करने वाले डाकघर एवं दिनांक की पहचान करने में आसानी रहे। भर्ती शुल्क टिकटों के निरस्त न कराए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

2.1.2 चुकाया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा।

2.1.3 केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से चुकाया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन एकदम से निरस्त कर दिए जाएंगे और चुकाया गया शुल्क जब्त हो जाएगा।

2.2 शुल्क से छूट- अजा/अजजा/शा.वि./भू.पू.सै. के अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है

शुल्क से छूट अपिव श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है

शुल्क से छूट भू.पू.सैनिकों के पुत्रों एवं पुत्रियों के लिए लागू नहीं है

ऐसे भू.पू.सै. अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा में हैं शुल्क छूट हेतु पात्र नहीं हैं

**टिप्पणी-I : आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं आयु में छूट के पात्र नहीं हैं लेकिन शुल्क से छूट के पात्र हैं।**

3. **आयु में छूट :-**

3.1 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं० 43013@2@95-स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 25-01-1995 जैसा की समय-समय पर संशोधित हुआ हो के अनुसरण में अपिव श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में केवल **श्रेणी संख्या - मप्रक्षे (सी)-1** के पदों के लिए अधिकतम तीन वर्ष की छूट है।

3.2 **श्रेणी संख्या - मप्रक्षे (सी)-2** के पदों निर्धारित श्रेणी के अ.वि. अभ्यर्थियों के लिए उपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट है। (कृप्या खंड 2 के नीचे की टिप्पणी भी देखें)

3.3 भूटान में चुखा पनबिजली परियोजना प्राधिकरण के छंटनी किए गए उन कर्मचारियों को जिन्हें सीधे ही भर्ती किया गया था, को उनके द्वारा प्राधिकरण में की गई नियमित सेवा अवधि तक उपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। (निकाले गए कर्मचारियों द्वारा की गई नियमित सेवा की अवधि चुखा पनबिजली परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाएगी)।

3.4 जो अभ्यर्थी 1-1-80 से 31-12-89 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के सामान्यतया मूल निवासी थे, को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके समर्थन में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ आवास के प्रमाण के रूप में निम्न में से किसी एक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा -

क. जिला मजिस्ट्रेट, जिनके अधिकार क्षेत्र का वह सामान्यतया मूल निवासी था, अथवा

ख. जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि 1-1-80 से 31-12-89 की अवधि के दौरान वह सामान्यतया जम्मू और कश्मीर राज्य का अधिवासी था।

- 3.5 विधवाओं, परित्यक्ता महिलाओं और कानूनी तौर पर अपने पति से अलग महिलाओं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है को उपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट (अजजा श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों हेतु उपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट है)
- 3.6 रक्षा कार्मिकों को उपरी आयु सीमा में अधिकतम 03 वर्ष (अजजा अभ्यर्थियों को 08 वर्ष) की छूट है जो विदेश या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में अक्षम हो गया है और इस आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो।
- 3.7 भूतपूर्व सैनिकों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई गई शर्तों को पूरा करते हैं, को अपनी रक्षा सेवा अवधि को अपनी आयु में घटाने की अनुमति होगी और इस तरह प्राप्त परिणामी आयु निर्धारित उपरी आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**टिप्पणी-2 :** भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना से लड़ाकू अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो तथा -

- क. जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ/हुई हो। इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवा निवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद, या
- ख. जिसे सैन्य सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो, या
- ग. जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो, या
- घ. जो सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान (ग्रेच्यूटी) दिया गया हो, इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं -

1. निरंतर मूर्त सेवा के पेंशनधारी
2. सैनिक सेवा के कारण अक्षम हुए व्यक्ति तथा
3. वीरता पुरस्कार विजेता

**टिप्पणी-3** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02&04&1992 के का.ज्ञा.सं. 36034@6@90-स्था. (एससीटी) के अनुसार ऐसे भूपूसै अभ्यर्थी जिन्होंने भूपूसै के रूप में दिए गए लाभ उठाने के बाद केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल साइड में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया हो वे भूपूसै के पुनर्नियोजन के लिए उच्च ग्रेड में दूसरे रोजगार प्राप्त करने के लिए भूपूसै के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा में छूट के पात्र हैं। यद्यपि ऐसे अभ्यर्थी भूपूसै के रूप में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे और न ही परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

**टिप्पणी-4** किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा (काल-अप-सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा मानी जाएगी। आरक्षण की सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से संघ की तीनों सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूपूसै के रूप में माने जाने के लिए आवश्यक है कि उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया हो तथा/अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा यह सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख (10 अक्टूबर 2008<sup>1/2</sup> से एक वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर अपनी सेवा अवधि पूरी कर सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त/सेवामुक्त हो जाएगा।

**टिप्पणी-5** भूपूसै द्वारा इस संबंध में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र अनुलग्नक A एवं AA में दिया गया है।

3.8 केन्द्र सरकार के सभी सिविल पदधारी कर्मचारी जो आवेदन की अंतिम तिथि (10 अक्टूबर 2008<sup>1/2</sup> को नियमित आधार पर (और न कि तदर्थ आधार पर) कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं, के लिए उपरी सीमा में 35 वर्ष तक (अपिव अभ्यर्थियों के लिये 38 वर्ष) की आयु तक छूट होगी ।

### प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप

अभ्यर्थी जो आरक्षित पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या आयु में शिथिलता चाहते हैं, उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से जारी, संवीक्षा हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए, अन्यथा उनका अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै हेतु किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनका आवेदन पत्र सामान्य अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत माना जाएगा । प्रमाण पत्रों के प्रारूप एवं प्रकार निम्नांकित हैं-

अनुलग्नक A@AA भूपूसै अभ्यर्थियों हेतु  
अनुलग्नक AAA अजा/अजजा अभ्यर्थियों हेतु  
अनुलग्नक V अपिव अभ्यर्थियों हेतु  
अनुलग्नक VI शावि अभ्यर्थियों हेतु

**टिप्पणी-** । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि उनके द्वारा अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै हेतु गलत दावा किया जाता है तो वे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे ।

### टिप्पणी- II शा.वि. प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता :-

(i) निःशक्तता प्रमाण पत्र केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा । राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों का एक चिकित्सक बोर्ड गठित कर सकती है, जिनमें से कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र जैसे लोकोमीटर/सेरेब्रल/दृष्टि/श्रवण जो भी मामला हो, का विशेषज्ञ होगा

(ii) जिनकी निःशक्तता अस्थायी है, उनका प्रमाण पत्र 05 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा । मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र में वहां वैधता तिथि दर्शायेगा जहां निःशक्तता की कोटि में परिवर्तन की संभावना हो । जिनकी निःशक्तता स्थायी होगी, उनके लिए यह मान्यता स्थायी दर्शाई जा सकती है । आवेदक के प्रार्थना पत्र देने पर , मेडिकल बोर्ड मामले से संबंधित सभी तथ्यों के आधार पर अपने निर्णय को पुनर्अवलोकित कर सकता है और मामले के संबंध में निर्णय ले सकता है जैसा वह उचित समझे ।

(iii) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम, 1995 1/41996 का 1) की धारा 73 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 31-12-1996 को अधिसूचित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार, निःशक्तता प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकारियों का केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया एक चिकित्सा बोर्ड होगा । राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों के एक चिकित्सा बोर्ड का गठन कर सकती है जिनमें से कम से कम एक सदस्य लोकोमीटर/निम्न दृष्टि सहित चक्षुष श्रवण तथा वाक् निःशक्तता, मानसिक मंदता तथा कुष्ठ उपचार, जैसा भी मामला हो, के निर्धारण के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होगा ।

**टिप्पणी-** III विभागीय प्रतिनिधि/केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अपने कार्यालय से एक प्रमाण पत्र (अनुबंध IV के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा जिसमें उनके सेवा-काल का उल्लेख हो ताकि आयोग द्वारा उनकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके । वे अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को सूचित करने के बाद अपना आवेदन पत्र सीधे आयोग को भेज सकते हैं तथा उन्हें उचित माध्यम से कोई और प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी यदि वे आवेदन पत्र

उचित माध्यम से भेजने का निर्णय लेते हैं तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र कर्मचारी चयन आयोग में अंतिम तिथि तक पहुंच जाना चाहिए । यदि आवेदन पत्र देर से प्राप्त होगा और/या नियमों में उपबंधित तरीके से हर प्रकार से पूर्ण नहीं होगा तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

**उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में आयु में छूट नहीं दी जाएगी ।**

4. **प्रारंभिक चयन-** केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इत्यादि पूरी करने ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने की पात्रता नहीं होगी । आयोग पदों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर अभ्यर्थियों की प्रारंभिक छंटनी कर सकता है ।
5. **स्क्रीनिंग टेस्ट-** आयोग अपने विवेकानुसार सभी/प्रारंभिक रूप से छांटे गए अभ्यर्थियों हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन कर सकता है । केवल वही अभ्यर्थी जो कि आयोग के विवेकानुसार निर्धारित मानदंडों के अनुरूप स्क्रीनिंग टेस्ट में अर्हता प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार/दक्षता परीक्षण हेतु बुलाए जाने के पात्र होंगे ।

साक्षात्कार/स्क्रीनिंग टेस्ट/दक्षता परीक्षण आयोग के उप क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर या अन्य कोई केंद्र जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, पर होगा ।

स्क्रीनिंग टेस्ट/दक्षता परीक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

**6- दक्षता परीक्षण :**

**6-1 आशुलिपी परीक्षण :-**

**श्रेणी संख्या - मप्रक्षे (सी)-2** के पदों के लिए - हिन्दी अथवा अंग्रेजी में 80 श.प्र.मि.की गती - अभ्यर्थियों को 80 श.प्र.मि.की गती से हिन्दी/अंग्रेजी में 10 मिनट का एक श्रुतलेख दिया जाएगा । श्रुतलेख के मसौदे का प्रतिलेखन करने के लिए अंग्रेजी में परीक्षण का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को 65 मिनट एवं हिन्दी का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को 75 मिनट का समय दिया जाएगा । मसौदे का प्रतिलेखन हस्त-टंकक पर करना होगा एवं इसके लिए अभ्यर्थी को स्वयं का टंकक लाना होगा । प्रतिलेखन के समय टंकक खराब हो जाने की स्थिति में दुसरा अवसर नहीं दिया जाएगा ।

किसी एक भाषा में आशुलिपी एवं टंकण परीक्षा दे कर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात दूसरी भाषा में भी आशुलिपी एवं टंकण सीखना अनिवार्य होगा ।

**6-2 टंकण परीक्षण :-**

**श्रेणी संख्या - मप्रक्षे (सी)-2** - अंग्रेजी में 30 श.प्र.मि. अथवा हिन्दी में 25 श.प्र.मि. की गती से ।

यह परीक्षा 10 मिनट की अवधि की होगी जिसमें 'रनिंग मैटर' का एक प्रश्न पत्र होगा । इसके लिए अभ्यर्थी को अपना स्वयं का टाइपराईटर लाना होगा । इसके लिए इलैक्ट्रॉनिक टाइपराईटर प्रयोग करने की अनुमती नहीं होगी । टाइपिंग के समय टाइपराईटर खराब हो जाने की स्थिति में दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा ।

**टिप्पणी ! :** किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को आशुलिपी एवं टाइपिंग परीक्षा से छूट स्वीकार्य नहीं है ।

**टिप्पणी !! :**

1- अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में आशुलिपी एवं टाइपिंग परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम इंगित करना चाहिए ।

- 2- यदि, अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आशुलिपि एवं टाईपिंग परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम इंगित नहीं करता है तो आयोग उसका माध्यम अंग्रेजी मानेगा एवं अभ्यर्थी को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- 3- ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त दक्षता परीक्षण में उपस्थित होना है, उन्हें टाईपराईटर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

## 8- आवेदन कैसे करें -

- 8-1 अलग-अलग श्रेणी के पदों के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाना चाहिए ।
- 8-2 अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी हस्तलिपि में नीली या काली स्याही से केवल हिन्दी या अंग्रेजी में भरेंगे । अन्य किसी भाषा में भरा गया आवेदन पत्र एकदम से निरस्त कर दिया जाएगा ।
- 8-3 आवेदन पत्र को सही भरने में अभ्यर्थियों द्वारा पूरी सावधानी बरती जाए । कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए । अपूर्ण या कटे-फटे आवेदन एकदम से निरस्त कर दिया जाएगा । इस तरह के निरस्तीकरण के लिए कोई भी प्रत्यावेदन या पत्राचार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 8-4 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में घसीट लिपि में (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं) फोटो के नीचे इस हेतु निर्धारित स्थान में, आवेदन पत्र के अंत में एवं अपिब अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वालीय घोषणा के नीचे, यदि लागू हो तो, एक ही भाषा एवं स्टाइल में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए । निर्धारित स्थान पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे । यदि विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है ।
- 8-5 अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में कोई झूठा तथ्य न लिखें और न ही कोई संबंध सूचना छिपाएं । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज या दस्तावेज की अनुप्रमाणित छायाप्रति में दर्ज किसी आंकड़े के साथ किसी भी परिस्थिति में कोई छेड़छाड़ या किसी परिवर्तन का कोई प्रयास न करें और न ही उन्हें कोई परिवर्तित/बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए । यदि इसमें कोई अस्पष्टता या कोई विसंगति हो तो विसंगति के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए ।
- 8-6 आवेदन पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित प्रारूप में होना चाहिए । आवेदन डबल स्पेस में टंकित या हाथ से स्वच्छ रूप में लिखे में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रारूप प्रकाशित आवेदन के अनुरूप होना चाहिए ।
- 8-7 ऐसे आवेदन जो कि विज्ञापन में प्रकाशित आवेदन पत्र के प्रारूप के समान नहीं है, एकदम से अस्वीकृत कर दिये जाएंगे ।
- 8-8 अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में फोटो के लिए निर्धारित स्थान में अपना हाल ही का फोटो चिपकाना चाहिए । अभ्यर्थियों द्वारा चिपकाई गई फोटो की समान प्रतियां भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए ।
- 8-9 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में घसीट लिपि में (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं) अपने हस्ताक्षर करने चाहिए -
  - (1) फोटो के नीचे इस हेतु निर्धारित स्थान में,
  - (2) अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य घोषणा के नीचे, और
  - (3) विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा के नीचे, यदि लागू हो तो ।
- 8-10 निर्धारित स्थान पउ फोटो अथवा हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे ।
- 8-11 एक लिफाफे में एक अभ्यर्थी का ही आवेदन होना चाहिए । इस अनुदेश के उल्लंघन होने पर आयोग द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें आवेदनों का निरस्तीकरण भी शामिल है ।
- 8-12 आवेदन पत्र के लिफाफे पर बड़े अक्षरों में **‘आशुलिपिक 2008 पद के लिए आवेदन’** अथवा **‘अन्वेषक 2008 पद के लिए आवेदन’**, जो भी लागू हो, लिखा जाना चाहिए एवं निम्नांकित पते पर भेजा जाना चाहिए-

उप क्षेत्रीय निदेशक (मप्रक्षे)

कर्मचारी चयन आयोग  
'निशांत विला' एफ, जल-विहार कॉलोनी,  
रायपुर, छत्तीसगढ़- 492 001

9. अंतिम तिथि- आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि **10 अक्टूबर, 2008** (सांय 05%00 बजे तक) है । हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप मंडल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप असम, मेघालय, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में रहने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति में 17 अक्टूबर, 2007 (सांय 05%00 बजे तक ) है ।

10. आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज-

- i. 50/-रु. का केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट आवेदन पत्र पर चिपकाकर उसे स्पष्ट रूप से निरस्त करवा लें।
- ii. एक स्वयं का पता लिखा पोस्टकार्ड, जिस पर 6/- रु. का डाक टिकट लगा हो । पोस्ट कार्ड पर अभ्यर्थी द्वारा 'आशुलिपिक 2008 पद के लिए आवेदन' अथवा 'अन्वेषक 2008 पद के लिए आवेदन', जो भी लागू हो, लिखा जाना चाहिए ।
- iii. अपना पता लिखा हुआ 12 X 25 सेमी आकार का एक लिफाफा, जिसमें 6/-रु. का डाक टिकट लगा हो।
- iv. अपना स्वयं का पता लिखी हुई चार पर्चियां ।
- v. शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में प्रमाण पत्र ।
- vi. अजा/अजजा/अपिव/भूपुरै/शा.वि श्रेणी के समर्थन में दस्तावेज। जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रारूप के सदृश होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापन के साथ प्रकाशित (अनुलग्नक A] AA] AAA] IV, VI) है।
- vii. आयु में छूट में दावे के समर्थन (अपिव/शावि/भूपुरै की स्थिति में) में दस्तावेज। प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक A] AA] AAA] IV एवं V दिए गए हैं ।
- viii. जन्म तिथि के समर्थन में जन्म तिथि को दर्शाने वाला बोर्ड से जारी मैट्रिक स्तरीय या समकक्ष प्रमाण पत्र की साक्ष्यांकित छायाप्रति। कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा ।
- ix. आयु के लिए छूट का दावा करने वाले केंद्र सरकार/विभागीय उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ, स्वयं के कार्यालय से जारी, सामान्य अंतिम तिथि को नियमित आधार पर सेवा अवधि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (अनुलग्नक V के अनुसार), प्रस्तुत करना होगा ।
- x. सिविल पदधारी सभी सरकारी सेवक, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, निर्धारित कर्मचारी हो, नैमित्तिक हों या दैनिक मजदूरी पर हों, या लोक उद्यम में कार्यरत हों, को यह वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित में इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के संबंध में सूचित कर दिया है ।
- xi. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र ।

11- अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश

- i. इस विज्ञप्ती द्वारा अन्य समान/समतुल्य रिक्तियों को भी भरा जा सकता है । उक्त रिक्तियों में परिवर्तन हो सकता है
- ii. किसी भी प्रकार की सिफारिश करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
- iii. अभ्यर्थियों को अपने हित में परीक्षा की विज्ञप्ति के सभी उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह सुनिश्चित कर लें कि पद, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं, के संबंध में निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं । यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पहले या बाद में किसी भी समय जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी ।

- iv. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अथवा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उस संबंध में किसी भी प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
- v. आवेदन के साथ कोई मूल प्रमाण पत्र न भेजें ।
- vi. आयोग द्वारा केवल मैट्रिक/सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी और बाद में इसमें परिवर्तन हेतु प्रार्थना पर न कोई विचार किया जाएगा और न ही उसमें परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी ।
- vii. आयोग के विवेकानुसार अन्यथा योग्य व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती हैं ।
- viii. जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है वे इस पद के योग्य नहीं हैं एवं उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।
- ix. जिन अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट/दक्षता परीक्षण/साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा उन्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर इस पद के लिये शैक्षणिक योग्यता होने का दावा किया गया है, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा ।
- x. अभ्यर्थियों को यह विकल्प है कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार या तो विभिन्न प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत करें या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत करें, तथापि स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्रों की संविधा की जायेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता ऐसी संविधा के अधीन होगी । विभिन्न प्रमाण पत्रों के स्व-प्रमाणन की सुविधा का प्रयाग करने समय अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आयोग को भ्रम में रखने अथवा इसकी परीक्षाओं में बैठने का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत प्रमाणीकरण करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक/परीक्षा से वारित करने की कार्रवाई की जाएगी ।
- xi. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के सिविल पदधारी कर्मचारी अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को सूचित करके अपना आवेदन पत्र सीधे आयोग को भेज सकते हैं तथा उन्हें उचित माध्यम से दूसरी प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी, यदि वे आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजने चाहते हैं, तो वे यह सुनिश्चित कर लें कि हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक कर्मचारी चयन आयोग में पहुंच जाए ।
- xii. अभ्यर्थियों को यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि आयोग में उनके नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने हेतु आवेदन करने से रोकने की सूचना मिलती है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे/अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी ।
- xiii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र अंतिम तिथि से काफी पहले ही डाक द्वारा भेज दें ताकि अंतिम तिथि और समय तक कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाये । किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- xiv. पात्रता, आवेदनों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा एवं साक्षात्कारों के आयोजन, परीक्षा केन्द्र के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों के पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- xv. जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।
- xvi. यह विज्ञप्ति क.च.आ. की वेबसाइट [sscmpr.org](http://sscmpr.org) पर भी उपलब्ध है । अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु इस वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन-प्रारूप को डाउनलोड करके इसका प्रयोग किया जा सकता है ।
- xvii. इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद क.च.आ. के रायपुर कार्यालय पर न्यायाधिकार रखने वाले न्यायालय/अधिकरण के अधीन होगा ।



**कर्मचारी चयन आयोग**  
(मध्य प्रदेश क्षेत्र)  
**अन्वेषक/आशुलिपिक-2008 के पद के लिए**  
**आवेदन पत्र**

**अंतिम तिथि : 10 अक्टूबर 2008**

**अनुदेश**

- 1 नीचे दिए गए कालमों में वांछित सूचनाएं अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) या हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में लिखें । जो अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र हिन्दी में भरते हैं वे कालम-3(ख) में अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भी लिखें ।
- 2 एक लिफाफे में केवल एक ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र होना चाहिए । इस नियम का उल्लंघन करने पर आयोग द्वारा दंडात्मक कारवाई की जाएगी ।
- 3 आशुलिपिक एवं अन्वेषक के पद के लिए, आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर स्पष्ट उल्लेख करने हुए, अलग-अलग आवेदन किया जाना चाहिए ।
- 4 जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेजा जा रहा हो उस पर स्पष्ट अक्षरों में 'विज्ञापन संख्या..... की श्रेणी.....द्वारा विज्ञापित.....के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए ।
- 5 यदि आवेदन पत्र में अपूर्ण/झूठी/तोड़-मरोड़कर सूचना दी गई है/हस्ताक्षर नहीं किया गया है/शुल्क देय है और अदा नहीं किया गया है/उचित स्थान पर साक्षात्कृत फोटो नहीं लगाया गया है/श्रेणी (अजा/जजा/अपिव/भूपूसै/शावि/बवि) आयु तथा शैक्षिक योग्यता के समर्थन में प्रमाणित प्रतियां नहीं लगाई गई हैं या एक से अधिक आवेदन पत्र भेजे गए हैं तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
- 6 यदि किसी अभ्यर्थी ने मैट्रिक/एसएससी/हायर सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी के बाद अपने नाम में से कुछ शब्द निकाल दिए हैं/जोड़ दिए हैं/ नाम में परिवर्तन कर दिया है तो उसे इस आशय के राजपत्र अधिसूचना की एक अनुप्रमाणित प्रति भी जमा करनी चाहिए कि मैट्रिक के बाद उसने अपना नाम बदल लिया है । यह परिवर्तित नाम गजट अधिसूचना में दर्शाया गया होना चाहिए ।
- 7 आयोग डाक विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 8 अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के अंत में हस्ताक्षर करने चाहिए, यदि विभिन्न स्थानों पर किए गए उसके हस्ताक्षरों में अंतर पाया गया तो आयोग द्वारा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है ।
- 9 स्वयं का पता लिखा पोस्टकार्ड, जिस पर रु. 6/- के अतिरिक्त डाक टिकट लगे हों, 12 x 25 सेमी आकार का अपना पता लिखे हुए दो लिफाफे, जिनके ऊपर अभ्यर्थी का नाम व पता लिखा हो उसमें से एक लिफाफे पर रु. 6/- के टिकट लगे हों और अपना पता लिखी हुई दो पर्चियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।
- 10 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर अपना नवीनतम फोटो चिपकाना चाहिए । (उसे स्टेपल या पिन नहीं करना चाहिए ) फोटो में अंतर होने पर उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकार की जा सकती है
- 11 अभ्यर्थी परीक्षा की विज्ञप्ति के सभी उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह सुनिश्चित कर लें कि पद, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं, के संबंध में निर्धारित तारीख को उसकी आयु, शैक्षणिक योग्यता, इत्यादि के संदर्भ में सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

**आवेदन पत्र**

यहां के.भ.शु.टि  
चिपकाकर उसे डाकघर  
की मुहर से इस प्रकार  
निरस्त कराएं कि उसका  
आधा भाग आवेदन पत्र  
पर व आधा भाग  
के.भ.शु.टि. पर पड़े ।

हाल ही में खींची गई  
अच्छी किस्म की  
पासपोर्ट आकार की  
फोटो चिपकाएं. भर्ती  
के आगामी चरणों में  
प्रयोग हेतु इसकी २  
प्रतियां अपने पास  
रखें

1. (क) विज्ञापन संख्या- **1@2008**  
(ख) श्रेणी संख्या- एम.पी.आर (सी)- .....

वरीयत: काली स्याही/काले बाल पेन से



8. कृप्या अपनी श्रेणी लिखें

अजा के लिए	-	1	<input type="text"/>
अजजा के लिए	-	2	
अपिव के लिए	-	6	
अनारक्षित के लिए	-	3	

9. (क) क्या आप निम्नलिखित श्रेणियों में भी आते है

अ.वि.  भू.पू.सै.

(ख) भूपूसै कृप्या लिखें

- (i) सेना में नियुक्ति की तिथि .....
- (ii) सेवानिवृत्त होने की तिथि .....
- (iii) सेवा की अवधि .....
- (IV) पिछली यूनिट/कोर .....
- (V) भूपूसै की पुनर्नियुक्ति हेतु देय हितलाभों के आधार पर प्राप्त सिविल सेवा में सरकारी नौकरी का विवरण, यदि कोई हो .....

(ग) यदि आप केन्द्र सरकार में सिविल पद-धारी कर्मचारी है तो :

- (i) उस कार्यालय का नाम एवं पूर्ण पता जहां कार्यरत हैं .....

(ii) नियुक्ति की तिथि       
दिन माह वर्ष

10. बताएं कि क्या आप विज्ञप्ति के अनुसार सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं -

अनिवार्य हां/नहीं

वांछित हां/नहीं

11. \* आशुलिपी एवं टंकण परीक्षा के लिए विकल्प

हिन्दी के लिए लिखें 1

अंग्रेजी के लिए लिखें 2

\* यदि आशुलिपिक के पद के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं तो इसे खाली छोड़ें

12. नागरिकता लिखिए :

1 यदि भारत का नागरिक हो

2 यदि नेपाल की प्रजा हो

- 3 यदि भूटान की प्रजा हो
- 4 यदि तिब्बती शरणार्थी है जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 01.01.1962 के पहले भारत चला आया था, या
- 5 यदि भारतीय मूल के ऐसे निवासी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रिकी देश केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार), मलावि, जैर, विएतनाम, कुवैत और इराक से प्रवर्जन किया हो ।

13. (i) क्या कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी पूर्ववर्ती परीक्षा से वारित हैं ?  
 हां के लिए लिखें - 1   
 नहीं के लिए लिखें - 2

(ii) यदि हां तो बताएं

- (क) परीक्षा का नाम ..... (ग) वारित होने की तिथि .....  
 (ख) अनुक्रमांक ..... (घ) कब तक वारित हैं .....

### घोषणा

(सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाना चाहिये)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास से सत्य, पूर्ण और सही है । मैं जानता हूं कि यदि प्रवीणता परीक्षण से पहले या बाद में कोई भी सूचना झूठी या असत्य पायी जाती है या अपात्रता का पता चलता है तो मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी । मैंने इस प्रवीणता परीक्षा के लिए और कोई आवेदन नहीं भेजा है । मैंने आयोग की विज्ञप्ति में दी गई शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और एतद्द्वारा उनका पालन करने का वचन देता/देती हूं । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं प्रवीणता परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि संबंधी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूं । मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/आर्थो.वि./ब.वि.) तथा आयु में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर दी है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी भी विधि न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं पाया गया है । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से रोका नहीं गया है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान : .....

दिनांक : .....

(अभ्यर्थी द्वारा बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे)

केवल अपिव के अभ्यर्थियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
 निवासी ग्राम/कस्बा/शहर ..... जिला ..... राज्य .....  
 एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ..... समुदाय से संबंधित हूं जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08-09-1993 के का.ज्ञा. सं० 36012222@93-एस.सी.टी. में विहित आदेशों

के अनुसार भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु पिछड़ा वर्ग माना गया है । यह भी घोषणा की जाती है कि मैं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09-03-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36033@3@2004-स्था.(आर.ई.एस.) के तहत संशोधित तथा दिनांक 09-09-1993 के का.ज्ञा. सं० 35012@22@93-स्था.(एस.सी.टी.) के कॉलम-३ में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ ।

**अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

स्थान :.....

दिनांक :.....

**टिप्पणी :** आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि अभ्यर्थी की अन्य पिछड़ा वर्ग की हैसियत के निर्धारण की तिथि समझी जाएगी तथा सह भी माना जाएगा कि अभ्यर्थी सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) में नहीं आता है ।

---

**केवल सिविल पदधारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/अभ्यर्थियों के लिए**

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपने कार्यालय अध्यक्ष/विभाग/मंत्रालय को लिखित रूप में सूचित कर रहा/रही हूँ कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

स्थान :

दिनांक :

**अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

**सेवारत रक्षा कर्मचारियों के प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र  
कृपया इस विज्ञप्ति का पैरा 3.7 देखें)**

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार .....  
(नंबर).....(रैंक).....(नाम).....  
.....दिनांक.....को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरा कर लेंगे ।

स्थान-  
दिनांक-

कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर  
कार्यालय की मुहर

**इस विज्ञप्ति की पैरा 3.7 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला वचनपत्र**

मैं जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, के द्वारा मेरा चयन हो जाता है तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत मुक्त किया गया है/कार्यमुक्त किया गया है तथा मैं भूपूसै (समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर) पुनर्नियुक्ति नियमावली, 1979 की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं । मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्वायत्त निकाय आदि शामिल हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त होने का पात्र नहीं होऊंगा ।

स्थान-  
दिनांक-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

**अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र**

जो अभ्यर्थी किसी अजा/अजजा से संबंधित होने का दावा करते हैं उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर, जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले, जिसमें उसके संरक्षक (या जीवित संरक्षक) सामान्यतः रहते हों, को नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी से जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी होगी । यदि उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो ।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अजा/अजजा के अभ्यर्थियों द्वारा  
दिए जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
.....पुत्र/पुत्री श्री.....  
.....निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....  
.....राज्य/संघ क्षेत्र.....के .....  
.....अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951'

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ क्षेत्र आदेश, 1951'

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, मुंबई रिआर्गनाईजेशन एक्ट, 1960,

पंजाब रिआर्गनाईजेशन एक्ट, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गनाईजेशन)

एक्ट, 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा

संशोधित संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956,

अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976' द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान

एवं निकोबार द्वीप समूह )अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959,

संविधान (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 @

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान (उत्तर प्रदेश) (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीव) अनुसूचित जाति ओदश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीव) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1968@

संविधान (नगालैंड) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति ओदश, 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1978@

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1989@

संविधान (अनुसूचित जाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजातिजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1996@

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी..... के माता/पिता श्री/श्रीमती.....

..... निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र.....को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो....

.....जाति/जनजाति से संबंधित है जो .....दिनांक.....

.द्वारा जारी.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में

मान्यता प्राप्त है ।

३ श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या.....उनका परिवार सामान्यतः

ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....में

रहता है ।

हस्ताक्षर

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/संघ क्षेत्र.....

स्थान.....

दिनांक.....

जो लागू न हो उसे काट दें ।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हों उसे काट दें ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 की धारा 20 में है ।

टिप्पणी-(ख): जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं :-

१. डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटीव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (फर्स्ट क्लास स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो)
२. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
३. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो ।
४. उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और या उसका परिवार साधारणतया रहता है ।

#### अनुबंध - IV

आयु सीमा में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के सिविल पदधारी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

(अभ्यर्थी के कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी सेवारत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो रु .....के वेतनमान में कार्यरत केन्द्र सरकार के सिविल पदधारी कर्मचारी हैं, उन्हें दिनांक ..... को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुये तीन वर्ष हो गये हैं ।

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर -

नाम -

कार्यालय की मुहर -

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....  
.....ग्राम.....जिला/संभाग.....प्रदेश.....के निवासी.....  
.....समुदाय से संबंधित है जो निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

**(जो लागू है उस पर सही का चिह्न लगाएं )**

1. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1 सां 186, दिनांक 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी(सी), दिनांक 10 सितंबर, 1993.
2. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खंड-1 सं. 163, दिनांक 20-10-1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19-10-1994
3. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 88, दिनांक 25-5-1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24-5-1995
4. संकल्प सं. 12011/96/94-बीसीसी दिनांक 9-3-1996
5. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 210, दिनांक 11-12-1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6-12-1996
6. संकल्प सं. 12011/13/97-बीसीसी, दिनांक 3-12-1997
7. संकल्प सं. 12011/99/94-बीसीसी, दिनांक 11-12-1997
8. संकल्प सं. 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27-10-1999
9. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 270, दिनांक 6-12-1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 6-12-1999
10. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 71, दिनांक 4-4-2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4-4-2000
11. भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खंड-1, सं. 210, दिनांक 21-9-2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21-9-2000

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/या उनका परिवार साधारणतया.....  
प्रदेश के.....जिला/संभाग में रहती/रहता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी), दिनांक 8-9-93 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरईएस), दिनांक 9/3/2004 के तहत संशोधित किया गया है, की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (किमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

दिनांक-  
मुहर-

जिलाधीश या उपायुक्त इत्यादि

टिप्पणी-(क): यहां प्रयुक्त साधारणतया शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के खंड-20 में है ।

टिप्पणी-(ख): जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं :-

5. डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (फर्स्ट क्लास स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो)
6. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
7. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो ।
8. उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और या उसका परिवार साधारणतया रहता है ।

संस्थान/अस्तपाल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं ..... तारीख .....

**निःशक्तता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... आयु.....लिंग.....  
..... पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की  
स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है -

**क.** गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों टांगे प्रभावित किन्तु  
बाहें प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी ए) - दोनों बाहें प्रभावित  
(क) दुर्बल पकड़  
(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों  
बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दाया या बाया)  
(क) दुर्बल पकड़  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित  
(क) दुर्बल पकड़  
(ख) कमजोर पकड़  
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांसपेशियां (एम डब्ल्यू) - मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित  
शारीरिक सहनशक्ति

यहां चिकित्सा बोर्ड के  
अध्यक्ष द्वारा विधिवत्  
प्रमाणित हाल ही का  
अनुप्रमाणित फोटो  
चिपकाएं जो उम्मीदवार  
की निःशक्तता दर्शाता  
हो

**ख.** अंधापन अथवा अल्प दृष्टि : (i) बी - अंधता  
(ii) पी बी - आंशिक रूप से अंधता

- ग. कम सुनाई देना (i) डी - बधिर  
(ii) पी डी - आंशिक रूप से बधिर  
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती/.....वर्षों.....महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है । \*

3- उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है ।

4- श्री/श्रीमती/कुमारी..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं -

I. एफ -	अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
II. पी पी -	धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
III. एल -	उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
IV. के सी -	घुटनों के बल झुककर और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
V. बी -	झुककर कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
VI. एस -	बैठकर कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
VII. एस टी -	खड़े हो कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
VIII. डब्ल्यू -	चलते हुये कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
IX. एस ई -	देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
X. एच -	सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
XI. आर डब्ल्यू-	पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं

(डॉ.....) (डॉ.....) (डॉ.....  
)  
सदस्य, चिकित्सा बोर्ड                      सदस्य, चिकित्सा बोर्ड                      अध्यक्ष, चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो उसे काट दें ।